Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to lift restriction on Sabeya airport in Hathua, Bihar.

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): सभापति महोदय, धन्यवाद । मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के हथुआ अनुमंडल में सबेया एयरपोर्ट, जो कि रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा के अधीन है, उसे उड़ान योजना में शामिल कर लिया गया है । यह एयरपोर्ट 517 एकड़ में फैला हुआ है, जिसका 30 से 40 परसेंट हिस्सा अतिक्रमण कर लिया गया है । अतक्रिमण हटाने के लिए मैंने बिहार सरकार एवं डिफेंस के सचिव को पत्र लिखा है । बिहार सरकार के अधिकारियों का जवाब है कि यह भूमि रक्षा मंत्रालय की है । ऐसी स्थिति में भूमि के कागजात के साथ माफी का निर्देश रक्षा मंत्रालय से प्राप्त होने पर अतिक्रमण चिह्नित करते हुए लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत कार्रवाई की जाएगी ।

अत: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि अतिक्रमण हटाने के लिए मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें ताकि वे आदेश जारी करें और अतिक्रमण हट सके, जिससे उड़ान योजना सफल हो सके ।